<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या 2112</u>

<u>3 अगस्त, 2015 को उत्तर के लिए</u>

पोस्को की इस्पात परियोजना

†**2112. श्री बैजयंत जे पांडा:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के पारादीप में पोस्को की इस्पात परियोजना को सुगम बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए पोस्को को संभावित लाइसेंस प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (घ) : उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए पॉस्को को पूर्वेक्षणी लाईसेंस प्रदान किए जाने हेतु उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव भारत सरकार (खान मंत्रालय) को प्राप्त हुआ था। दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को यह जांच करने की सलाह प्रदान की है कि क्या आवेदन माईन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 की धारा 10(ए) के अंतर्गत पात्र है। भारत सरकार आवेदन के पात्र होने की स्थिति में राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

*****